बिहार सरकार
<u>संसदीय कार्य विभाग</u>

।। अ धि सू च ना ।।

संख्या–सं0का0–1/वि0मं0 (सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)–05–02/2011(पार्ट)–........../पटना, दि0– ...., 2014

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0–16, 2006) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली, 2006 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2014

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ।** – (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

   (2) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3(ख) में संशोधन।** – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3(ख) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "25000/– (पचीस हजार) रूपये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "30000/– (तीस हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 में संशोधन।** – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "25000/– (पचीस हजार) रूपये" अंक शब्द एवं कोष्ठक "45000/–(पैतालीस हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

4. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 में संशोधन।** – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 की तीसरी पक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "8,00,000/– (आठ लाख) रूपये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "10,00,000/– (दस लाख) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

5. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 में संशोधन।** – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "5000/– (पाँच हजार) रूपये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "6000/–(छः हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

6. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 में संशोधन।** – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 की चौथी, छठी एवं बारहवीं पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "15000/– (पन्द्रह हजार) रूपये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "20000/– (बीस हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

7. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 9(1) में संशोधन।** – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 9 के उप नियम (1) की दूसरी एवं तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "1000/– (एक हजार) रूपये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2000/–(दो हजार) रूपये" द्वारा एवं चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2000/– (दो हजार) रूपये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2500/–(दो हजार पाँच सौ) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

8. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) में संशोधन। – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17 के उप नियम (1) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "15000/– (पन्द्रह हजार) रूपये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "25000/– (पच्चीस हजार) रूपये" द्वारा एवं छठी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "1000/– (एक हजार) रूपये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2000/– (दो हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(बृज राज राय)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–1/वि0मं0 (सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)–05–02/2011(पार्ट)–625 पटना, दि0– 11.6 2014

प्रतिलिपि–महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा/ कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद्/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग/विधि विभाग/सरकार के सभी विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव। 11.6.14

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

।। अधिसूचना ।।

संख्या–सं0का0–1/वि0मं0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05–02/2011(पार्ट)–......../ पटना, दि0.......

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0–16, 2006) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2014

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ।** – (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

   (2) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

   "10 **रेल/विमान से यात्रा की सुविधा।** – प्रत्येक सदस्य को, उनके कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकतम चार सहयात्री के साथ भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्रा के लिए रेल/विमान यात्रा हेतु एक वित्तीय वर्ष में ₹2,00,000/- (दो लाख) तक की राशि अनुमान्य होगी।"

3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17 का उप नियम (4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

   " **(4) रेल/विमान से यात्रा की सुविधा।** – बिहार विधान मण्डल के पूर्व सदस्य को अधिकतम तीन सहयात्री के साथ भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्रा के लिए रेल/विमान यात्रा हेतु एक वित्तीय वर्ष में ₹1,00,000/- (एक लाख) तक की राशि अनुमान्य होगी :

   परन्तु, वैसे पूर्व सदस्य भी, जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अधीन वेतन पर नियोजित हैं, रेल/विमान यात्रा के हकदार होंगे :

   परन्तु और कि, वे रेल/विमान से की गयी यात्रा के लिए अपने विश्वविद्यालय/कॉलेज से यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ता प्राप्त नहीं कर सकेंगे तथा उन्हें इस आशय का शपथ–पत्र, यथास्थिति, सचिव, विधान सभा/सचिव, विधान परिषद् को एवं अपने नियोजन के प्राधिकार को देना होगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(बृज राज राय) 06.08.2014

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–1 / वि0मं0 (सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05–02 / 2011(पार्ट)–808 / पटना,दि० 7.8.14

प्रतिलिपि–महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मा० मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव / मा० मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव / वित्त विभाग / विधि विभाग / सरकार के सभी विभाग / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव। 06.08.2014